न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरबिन्दर डिल्लन सिंह (RAS)

वादपत्र संख्या :– 79/2019

1. पप्पू उर्फ मोहनलाल आयु 37 वर्ष आ0 सुन्दरा जाति बलाई (मेघवाल) निवासी ग्राम रोटेदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0

– – वादी

बनाम

1. चन्द्रशेखर
2. मदन
3. हीरा
4. रामदयाल

(1 से 4) पिसरान सुन्दरा जाति बलाई (मेघवाल)

5. घींसी बेवा सुन्दरा जाति बलाई निवासीगण ग्राम रोटेदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
6. बैंक ऑफ बडौदा शाखा प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ बडौदा शाखा काप्रेन जिला बून्दी राज0
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब के0 पाटन जिला बून्दी राज0

– – प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती

उपस्थित :–

1. वादी की और से अधिवक्ता श्री गोविन्द शर्मा
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 26.02.2021

1. वादी की ओर से वादपत्र बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरस्ती का दिनांक 28.05.2019 को पेश किया गया।

2. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा सं. 1128 रकबा 3.38 है0, किस्म बारानी II वाके माल रोटेदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में विरिथत है। उक्त भूमि के वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 बराबर के हिस्सेदार दर्ज है। वादी के पिता मूल खातेदार सुन्दरा आत्मज बजरंगा का देहान्त के समय वादी का नाम पप्पू लिखा दिया गया था, जबकि विघालय रिकार्ड, आधार कार्ड एवं निर्वाचन नामावली में वादी का नाम मोहनलाल आ0 सून्दरा है। जिसमें वादी को मुआवजा, ऋण, सरकारी कांटे में उपज बेचने मे काफी परेशानी का सामना करना पडता है। वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में भी पप्पू उर्फ मोहनलाल किया जाना न्यायहित में है। वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार नाम संशोधन हेतु निवेदन किया किन्तु टालम टोल करते रहे। करीब 8 दिन पूर्व प्रतिवादीगण ने वादी का नाम संशोधन करवाने हेतु सहमति देने का साफ तौर से मना कर दिया। वादी को अधिकार प्राप्त है कि उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी स्वंय का नाम पप्पू के स्थान पर मोहनलाल खातेदार काश्तकार घोषित करवा सके या विकल्प में पप्पू उर्फ मोहनलाल राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज करवा सके तथा इसी आशय का वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सके।

3. वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. प्रकरण के सबंध में तहसीलदार के0 पाटन से जॉच रिपोर्ट तलब कि गई। तहसीलदार द्वारा जॉच रिपोर्ट में वर्णित किया कि राजस्व रिकार्ड अनुसार ग्राम रोटेदा की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 में खाता सं. 114 में दर्ज खसरा संख्या 1128 रकबा 3.38 है0 में पप्पू आ0 सुन्दरा सा0 देह खातेदार दर्ज है। ग्राम रोटेदा में जाकर जॉच करने पर बताया कि पप्पू आ0 सुन्दरा को ग्राम में मोहनलाल आ0 सुन्दरा के नाम से जाना जाता है। उक्त व्यक्ति को पप्पू उर्फ मोहनलाल आ0 सुन्दरा भी कहते है। यह एक ही व्यक्ति

है। रेकार्ड में पप्पू के स्थान पर मोहनलाल कराना चाहता है। मोहनलाल आ0 सुन्दरा कौम बलाई और पप्पू आ0 सुन्दरा एक ही व्यक्ति का नाम है।

5. वादी वकील ने दस्तावेजो में वादी का सरपंच का प्रमाण पत्र, फोटो मतदाता पर्ची, आधार कार्ड व राशनकार्ड पेश किये।

6. बहस सुनी गई। बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। अवलोकन पर तहसीलदार जॉच रिपोर्ट व दस्तावेजों के आधार पर वादी का वादपत्र बाबत् घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:: निर्णय ::—

परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र बाबत् घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती स्वीकार किया जाकर तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि ग्राम रोटेदा की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 में खाता सं. 114 में दर्ज खसरा संख्या 1128 रकबा 3.38 है0 पर दर्ज पप्पू आ0 सुन्दरा सा0 देह खातेदार के स्थान पर पप्पू उर्फ मोहनलाल आ0 सुन्दरा कौम बलाई अंकित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

उक्त निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी0 सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)
उपखण्ड अधिकारी
केशवराय पाटन

उपखण्ड अधिकारी
के0 पाटन

डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

अज अदालत इजलास– **हरबिन्दर डिल्लन सिंह**

उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0पाटन **आर.ए.एस.**

पप्पू V/S चन्द्रशेखर वगै0

वाद– घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती

मुकदमा नम्बर :: 79/2019

वादी की ओर से श्री गोविन्द शर्मा, अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री .... की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 26.02.2021 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

"वादी का वादपत्र बाबत् घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती स्वीकार किया जाकर तहसीलदार केशवरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि ग्राम रोटेदा की जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 में खाता सं. 114 में दर्ज खसरा संख्या 1128 रकबा 3.38 है0 पर दर्ज पप्पू आ0 सुन्दरा सा0 देह खातेदार के स्थान पर पप्पू उर्फ मोहनलाल आ0 सुन्दरा कौम बलाई अंकित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।"

नीज ....ग................. मुबलिक ....ग................. बाबत ....ग.......... ... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व षरह ....ग................. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूल वादी तक ....ग................. को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 26.02.2021 को जारी की गई।

मोहर

(हरबिन्दर डी0 सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

केशवरायपाटन